संख्या– 1741 सी0डी0 / 46–3–09–1000 (79) / 2008

प्रेषक,

विजय कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उ0प्र0,लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 23 नवम्बर, 2009

विषयः– सघन गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–972 सी0डी0 / 46–3–09–1000(79) / 2008, दिनांक 21–08–2009 का कपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके संलग्नक के कमांक–10 में त्रुटिवश जनपद रामपुर को आवंटित धनराशि का का योग 286 हजार के स्थान पर 386 हजार अंकित हो गया है।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के संलग्नक के कमांक–10 में जनपद रामपुर को आवंटित धनराशि का का योग 386 हजार के स्थान पर 286 हजार पढ़ा जाय। शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

अधोहस्ताक्षरी के नीचे / पृष्ठांकन में किये गये हस्ताक्षर को नमूना हस्ताक्षर समक्षा जाय।

भवदीय,

(विजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।

संख्या– 1741 सी0डी0 / 46–3–09–1000(79) / 2008 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा हकदारी प्रथम / आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, रामपुर को उनके पत्रांक–1894–95, दिनांक 13–10–2009 के अनुकम में ।
3. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त , उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, रामपुर।
5. जिला गन्ना अधिकारी, रामपुर।
6. संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त / संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
7. नियोजन अनुभाग–3 / राज्य योजना आयोग–1 / 2
8. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6 / वित्त(बजट) अनुभाग–1
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।

saghan Ganna Go21-62